झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0–nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक: 9/RCH- 644/2012 - 624(MD) दिनांक : 07/5/2020

प्रेषक,

डॉ. शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से.
अभियान निदेशक
झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन, राँची।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
झारखण्ड।

विषयः– COVID–19 महामारी के दौरान अनीमिया मुक्त भारत कार्यकम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग में आई.एफ.ए. का सम्पूरण सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि झारखण्ड में अनिमिया (Anemia) एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है और सभी आयु वर्गों में अनीमिया की व्यापकता को देखते हुए राज्य में अनीमिया मुक्त भारत कार्यकम का कियान्वयन किया जा रहा है।

COVID–19 महामारी के दौरान शिशु/किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना है

सामुदायिक स्तर पर IFA अनुपूरण :

IFA प्रति लाभार्थी के आकलन की आवश्यकता इस प्रकार है:

आयुवर्ग	डोज एवं संबंधित विवरण	आवश्यक मात्रा प्रति लाभार्थी और लागू होने की अवधि
6–59 माह आयुवर्ग के बच्चे	सप्ताह में दो बार, **आयरन फॉलिक एसिड सिरप** का 1ml	1 बोतल (50 मि.ली.) 6 महीने के लिए पर्याप्त
5–9 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे	सप्ताह में 1 **आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट (गुलाबी)**	10 गोली (एक स्ट्रिप) 2.5 महीने के लिए पर्याप्त
10–19 साल के किशोर (लड़के एवं लड़कियां)	सप्ताह में 1 **आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट (नीला)**	10 गोली (एक स्ट्रिप) 2.5 महीने के लिए पर्याप्त

* गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए पत्रांक 500 (MD) दिनांक 14.04.2020 द्वारा आई.एफ.ए. लाल के सम्पूरण के संबंध में दिशा–निर्दश मातृ स्वास्थ्य कोषांग द्वारा निर्गत किया गया है।

IFA अनुपूरण के लिए लक्षित लाभार्थियों की पहचान:

- 6 से 59 महीने के आयु वर्ग के बच्चे – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास उपलब्ध सूची
- स्कूल जाने वाले बच्चे / किशोर आयु समूह में 5 से 9 वर्ष और 10 से 19 वर्ष – सहिया के पास उपलब्ध जानकारी
- 5–9 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों (लड़के एवं लड़कियां) की सूची – सहिया के पास उपलब्ध सूची
- 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले किशोरियों की सूची – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास उपलब्ध सूची

- **विद्यालय जाने वाले** 5–9 वर्ष **(कक्षा 1 से 5 तक)** एवं 10–19 वर्ष **(कक्षा 6 से 12 तक)** बच्चे एवं किशोर–किशोर किशोरियों को आई.एफ.ए की उपलब्धता क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जाय।
- **विद्यालय नहीं जाने वाले 10–19 वर्ष के किशोरियों** को संबंधित आंगनबाड़ी सेविका से समन्वय स्थापित कर आई.एफ.ए. की नीली गोली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

दवा की व्यवस्था :

- एएनएम सहिया से संपर्क करके निम्न मात्रा के अनुसार संभावित IFA सिरप और आईएफए गुलाबी, आईएफए और नीली गोलियों की मांग को एमओआईसी के साथ साझा करेंगी
  - **IFA Syrup Bottles (50ml) :**
    - Number of Children in 5 to 59 months age group X 1 syrup bottle
  - **IFA Pink Tablets :**
    - Number of children in 5 to 9 years age group (school going and out of school) X 10 tablets
  - **IFA Blue Tablets :**
    - (Number of school going adolescents in 10 to 19 years age group X 10 tablets) + (Number of adolescents girls registered with ICDS X 10 tablets)
- चूंकि लॉकडाउन और COVID–19 की वजह से एएनएम की आवाजाही प्रतिबंधित हो सकती है, अतः एमओआईसी उप–केंद्र पर आवश्यक मात्रा में एएनएम को दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- एएनएम अपने कार्य–क्षेत्र में आने वाले सहिया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पर्याप्त IFA सिरप की बोतल, गुलाबी और नीली आईएफए गोलियों का स्टॉक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी

सामुदायिक स्तर पर वितरण:

6 से 59 महीनों के लिए– सहिया कार्यकर्ता सुनिश्चित करें कि माता–पिता को एक IFA सिरप की बोतल (ऊपर दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार) प्रदान किया जाय। यदि सिरप की बोतलें पहले से ही उपलब्ध हैं, तो इसकी पर्याप्तता स्तर (एमएल में मात्रा) की जांच करें और माता–पिता को खुराक सप्ताह में दो बार प्रशासित करने के लिए प्रोत्साहित करें।

5 से 9 वर्षों के लिए– सहिया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर–घर जाकर प्रत्येक बच्चे के लिए गुलाबी गोलियों की एक स्ट्रिप (10 टैब) प्रदान करें। सहिया / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहली गोली बच्चों को अपने सामने खिलाएँ। इसके अलावा, सहिया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और माता–पिता को घर में दवा के सेवन हेतु DO's और DON'T के बारे में जागरूक करेंगे, जैसे कि बेहतर अवशोषण के लिए भोजन के बाद गोली का सेवन, किसी भी प्रतिकूल घटनाओं के लिए सहिया / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ एएनएम से संपर्क करना आदि।

10 से 19 वर्षों के लिए– सहिया/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर में प्रत्येक किशोर/किशोरियों के लिए नीली गोलियों की एक स्ट्रिप (10 टैब) प्रदान करेंगे। सहिया/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सामने पहली गोली बच्चों को दी जाएगी। इसके अलावा, सहिया/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किशोर/किशोरियों को घर बैठे दवा के सेवन हेतु DO's और DON'T के बारे में जागरूक करेंगे, जैसे कि बेहतर अवशोषण के लिए भोजन के बाद गोली का सेवन, किसी भी प्रतिकूल घटनाओं के लिए सहिया / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ एएनएम से संपर्क करना आदि। गृह–भ्रमण के दौरान सहिया/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि वे पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखें तथा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें

इसके अलावा, सहिया/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर पर दवा के सेवन हेतु DO's और DON'T के बारे में जागरूक करेंगे, जैसे कि बेहतर अवशोषण के लिए भोजन के बाद गोली का सेवन, किसी भी प्रतिकूल घटनाओं के लिए सहिया / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ एएनएम से संपर्क करना आदि।

गृह–भ्रमण के दौरान सहिया/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि वे पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखें तथा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। एएनएम, सहिया/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का गृह–भ्रमण सभी घर / क्षेत्र में सभी लाभार्थियों को देखभाल प्रदान करने के लिए होना चाहिए। एक ही घर / क्षेत्र में बार–बार दौरे करने से बचें।

गृह–भ्रमण के दौरान माता–पिता / देखभाल करने वालों को एएनएम, सहिया/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यह जानकारी दें कि प्रदत्त आई.एफ.ए. कितने दिनों के लिए पर्याप्त है।

FMR Code 3.1.1.1.8 एवं FMR Code 3.1.1.1.9 के तहत आई.ए.ए. के सम्पूरण हेतु सहिया प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है। साथ ही सहिया गृह भ्रमण के दौरान सभी आयुवर्ग को आई.एफ.ए. के सम्पूरण हेतु प्रोत्साहित करते हुए आयरन युक्त भोजन और भोजन की उचित मात्रा एवं स्वच्छता के महत्व के बारे में बताएगी।

IFA वितरण की रिपोर्टिंग:

क. सहिया वितरित किए गए दवा की विवरणी अपने डायरी में दर्ज करेगी
ख. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहिया को दवा वितरण की सूची साझा करेगी
ग. सहिया डाटा / विवरण संकलित करेगी और एएनएम को निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करेगी।
घ. एएनएम आगे इसे सीएचसी / पीएचसी में जमा करेगी जहां समेकित डाटा संकलन का कार्य होगा

	IFA सिरप की बोतलें (50 ml)	**IFA पिंक स्ट्रिप्स (10 tab each)**	**IFA ब्लू स्ट्रिप्स (10 tab each)**
कुल प्राप्त स्टॉक			
कुल वितरित स्टॉक			
कुल लक्षित बच्चें / किशोर			
कवर किए गए बच्चों/किशोरों की कुल संख्या			

IFA सेवन के कारण प्रतिकूल घटनाएँ और इसका प्रबंधन:

- सहिया और आंगनवाडी कार्यकर्ता आई.एफ.ए. के सामान्य दुष्प्रभावों जैसे मतली इत्यादि को रोकने के लिए मुख्य भोजन के लगभग एक घंटे बाद आईएफए गोलियों का सेवन करने की सलाह दें। साइड इफेक्ट्स की शिकायत करने वाले लाभार्थियों को रात के खाने के बाद और सोने से पहले आईएफए की खुराक का सेवन करना चाहिए। असहज महसूस करने पर ORS दिया जाय।
- सलाह दी जानी चाहिए कि दूध, कैफीन, एंटासिड या कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ आईएफए सप्लीमेंट का सेवन न करें। ये अवशोषित होने वाले लोहे की मात्रा को कम कर सकते हैं।
- सलाह दी जानी चाहिए की आई.एफ.ए. का सेवन नीबू पानी या अन्य खट्टे पेय पदार्थों के साथ करने से लौह तत्व का अवशोषण अच्छे तरीके से होता है।
- मल के काले पड़ने जैसी घटना सामान्य है। कुछ लोग मतली, उल्टी और पेट में दर्द जैसी हल्के असुविधा का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए।
- यदि बच्चा अभी भी असहज महसूस करता है, तो माता–पिता को किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए एएनएम या सहिया को फोन करना चाहिए। एएनएम और सहिया अपना फोन नंबर लाभार्थियों को उपलब्ध कराएं।
- राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित राज्य हेल्पलाइन 104 पर किसी भी प्रतिकूल घटनाओं की सूचना दी जा सकती है।

624(MD)
7/5/2020

विश्वासभाजन

[signature]
7/5/12

(अभियान निदेशक)

ज्ञापांक :– 624 (MD) दिनांक :– 7/5/2020

प्रतिलिपि :–

1. सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, समाज कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल पदाधिकारी, Maternal Health/ Child Health/ Adolescent Health/ Community Mobilization Cell/RBSK Cell/ IEC Cell/Training Cell/Data Cell, NHM, Jharkhand को सूचनार्थ प्रेषित।
7. सभी जिला आर.सी.एच. पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. सभी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला डाटा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं सभी क्षेत्रीय समन्वयकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. राज्य प्रतिनिधि, UNICEF/Evidence Action/ We Can, IPE Global को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/5/2
(अभियान निदेशक)